झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–166 / 2019

देवनिश लिंडा .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखंड राज्य एवं अन्य .....उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : सुश्री स्मिता श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो।

07 / दिनांक 2 मार्च, 2021

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामला को सुना गया है।

याचिकाकर्त्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्मिता श्रीवास्तव ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता ने उससे ब्रीफ (कागजात) ले लिया है, उसलिए वह त्रुटियों की प्रकृति को समझाने की स्थिति में नहीं है।

इस न्यायालय ने पूर्वोक्त सबमिशन पर विचार किया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम तीन तिथियाँ अर्थात 03.07.2020, 23.11.2020 और 15.02.2021 से कोई भी रिट याचिकाकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है, अंतिम मौका देते हुए, त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस आवेदन को बेंच को संदर्भित किए बिना खारिज कर दिया जाएगा।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)